कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड

भवन संख्या 23, लेन नं0 03, शास्त्री नगर, हरिद्वाररोड़, देहरादून, 248001

Mail ID :*ukmssbdun@gmail.com*; Website : ***www.ukmssb.org***, Phone: **0135 2665366**

विज्ञप्ति संख्याः 104 / 2022 दिनांक 12 मई, 2022

आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत चिकित्साधिकारी (आयुर्वेद) के रिक्त 253 (बैकलॉग सहित) पदो पर प्रारम्भिक लिखित परीक्षा हेतु आवश्यक सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या उ0चि0से0च0बो0 / परी0(आर्यु0यू0चिकि0) / 08 / 2020–21 / 123, दिनांक 11 मार्च, 2022 के माध्यम से आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत चिकित्साधिकारी (आयुर्वेद) के रिक्त 253 (बैकलॉग सहित) पदों पर सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञापन के क्रम में प्रारम्भिक लिखित परीक्षा **दिनांक 29 मई, 2022 (रविवार) को प्रातः 11:00 बजे से अपरान्ह् 01:00 बजे तक** प्रदेश के देहरादून तथा हल्द्वानी शहर में आयोजित की जायेगी। अभ्यर्थी दिनांक 13 मई 2022 से प्रवेश पत्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट **www.ukmssb.org** से अपने पंजीकरण संख्या तथा पासवर्ड अंकित कर डाउनलोड कर सकते है।

अभ्यथियों को यह भी सूचित किया जाता है कि प्रवेश पत्र औपबन्धिक है तथा मात्र प्रारम्भिक लिखित परीक्षा हेतु मान्य है। इसके आधार पर अभ्यर्थी चयन हेतु कोई भी दावा नही कर सकता है। अतः परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे विज्ञापन में दी गयी न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं एवं अन्य अनिवार्य अर्हतायें, ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि (दिनांक 05 अप्रैल 2022) तक पूर्ण करता हो। अंतिम तिथि के उपरान्त निर्गत प्रमाण पत्र स्वीकार / मान्य नहीं होंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित की गई प्रविष्टियों से भिन्न कोई भी दावा मान्य नहीं होगा तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन अनुमन्य नहीं होगा। प्रारम्भिक लिखित परीक्षा में श्रेष्ठता क्रम में आने पर रिक्तियों की संख्या के तीन गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार तथा आवेदन पत्र में दर्शाये गये समस्त डाटा, अभिलेखों के सत्यापन हेतु मूल प्रमाण पत्र अभिलेख सत्यापन के दौरान बोर्ड के समक्ष उपलब्ध कराने हेतु आमंत्रित किया जायेगा, जिस हेतु अभ्यर्थियों को पृथक से प्रवेश पत्र निर्गत किये जायेंगे। तत्पश्चात् ही अभ्यर्थी के चयन पर विचार किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने तथा आवेदन पत्र से डाटा का सही मिलान न होने की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा इसकी पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी। **किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका अभ्यर्थन निरस्त करने का अधिकार बोर्ड को होगा।**

नोटः जिन अभ्यर्थियों को उनके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में दायर रिट याचिका में पारित अन्तरिम आदेश के क्रम में सम्मिलित किया गया है उन अभ्यर्थियों को उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई मेल आई0डी0 के माध्यम से प्रारम्भिक लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र प्रेषित किये जायेंगे।

ह0 / –
(गरिमा रौंकली)
सचिव,
उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड,
देहरादून।